पत्रांक–2/न०वि०/स्था०व्यय०/पदा० वेतन/न०नि०/115/2018–169

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

अजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
झारखण्ड, राँची।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची, दिनांक–04/01/19

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना मद अंतर्गत राँची एवं धनबाद नगर निगम में पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी/अभियन्ताओं के वेतन/बकाया वेतन/सप्तम वेतन पुनरीक्षण के तहत् निर्धारित वेतनमान के बकाया अंतर राशि के भुगतान हेतु प्राप्त मांग के आलोक में कुल 77,76,940/– रु० (सत्हत्तर लाख छिहत्तर हजार नौ सौ चालीस रुपये) मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना मद अंतर्गत राँची एवं धनबाद नगर निगम में पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी/अभियन्ताओं के वेतन/बकाया वेतन/सप्तम वेतन पुनरीक्षण के तहत् निर्धारित वेतनमान के बकाया अंतर राशि के भुगतान हेतु प्राप्त मांग के आलोक में कुल **77,76,940/– रु० (सत्हत्तर लाख छिहत्तर हजार नौ सौ चालीस रुपये)** मात्र अनुदान राशि के आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती हैः–

क्र०	निकाय का नाम	कुल आवंटित राशि	कोषागार का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
i	ii	iii	iv	v
1	राँची नगर निगम	31,71,940	राँची	नगर आयुक्त/ अपर नगर आयुक्त
2	धनबाद नगर निगम	46,05,000	धनबाद	
कुलः–		**77,76,940**	**(सत्हत्तर लाख छिहत्तर हजार नौ सौ चालीस रुपये)**	

2. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) के मांग संख्या–48 के अधीन स्थापना मद के मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–उप मुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघुशीर्ष–191–नगर निगम को सहायता–उपशीर्ष–40–शहरी स्थानीय निकायों में पदस्थापित कार्यपालक एवं अन्य पदाधिकारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते पर व्यय हेतु अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान–46–सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) (विपत्र कोड–48S221780191400646) के अंतर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि रू० 6,68,69,000/– से की जायेगी।

3. स्वीकृत अनुदान राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त तालिका में निकाय के नाम के सम्मुख स्तंभ–v में उल्लेखित पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी स्तंभ–iv में अंकित कोषागार/उपकोषागार से विपत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत की जायेगी।

4. स्वीकृत राशि विभाग के स्तर से पदस्थापित प्रशासी पदाधिकारी एवं अभियंताओं के वेतनादि के लिए है, जिनका पदस्थापन स्वीकृत पद के विरूद्ध किया गया है। विभाग स्तर से संविदा पर नियुक्त अभियंताओं को उक्त स्वीकृत राशि से इस शर्त्त पर वेतन देय होगा कि संबंधित अभियंता के नियुक्ति पत्र में वेतनादि का भुगतान विभाग स्तर से किये जाने का प्रावधान किया गया हो।

D:Arun_Vinay-Establishment_Off Salary_2018-19_11

(.   विगत वित्तीय वर्ष के पूर्व के वर्ष में निकासी की गयी राशि की उपयोगिता संबंधी विवरणी निम्नवत् है:–

निकाय का नाम	स्वीकृत्यादेश की संख्या/तिथि	निकासी की गयी राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि
राँची नगर निगम	384/22.03.16	925,098	925,098
	56/20.06.16	12,000,000	12,000,000
	114/19.08.16	203,123	203,123
	130/26.09.16	81,566	81,566
	245/09.01.17	174,060	174,060
धनबाद नगर निगम	56/20.06.16	5,000,000	5,000,000
	319/20.02.16	5,935,782	5,935,782

6. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दि०–20.03.2015 की कंडिका–5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात् झारखण्ड कोषागार अधिनियम, 2016 के तहत् निर्धारित विपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

7. स्वीकृत अनुदान की राशि की निकासी/व्यय वित्त विभागीय परिपत्र सं०–2561/वि., दि०–17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत परिपत्र/अनुदेश के आलोक में नियम–संगत तरीके से की जायेगी तथा इस राशि से राज्य गठन के पूर्व का बकाया भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. स्वीकृत अनुदान राशि से निकाय के संबंधित पदाधिकारी एवं अभियन्ता के वेतनादि (यात्रा भत्ता सहित), बकाया वेतन एवं अन्य भत्ता का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा और वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरांत राशि अवशेष रह जाती है, तो उसे ससमय प्रत्यर्पित किया जायेगा।

9. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आवंटित राशि के भुगतान के पश्चात् व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में टी०भी०नं० एवं तिथि के साथ सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सीधे भेजते हुए उसकी एक प्रति सरकार को उपलब्ध करायेंगे।

10. संबंधित निकाय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 के बजट संबंधित धाराओं का अनुपालन करते हुए राशि का आहरण करेंगें। साथ ही निकाय के लेखा में राशि को सम्मिलित करने के पश्चात नियमानुसार व्यय करेंगे।

11. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/ पंजियों को देखने, जांच–पड़ताल एवं अंकेक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दि०–20.03.2015 (कंडिका–5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

अतः संबंधित कोषागार पदाधिकारी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या–759/वि० दिनांक–20.03.2015 के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–2/न०वि०/स्था०व्यय०/पदा० वेतन/न०नि०/115/2018–169 राँची, दि०–04/01/19

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, उत्तरी/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/उपायुक्त, राँची, धनबाद/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/स्थानीय लेखा परीक्षक, झारखण्ड, राँची/नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, राँची, धनबाद नगर निगम/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, राँची, धनबाद/अवर सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल, विशेषज्ञ को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/ऑनलाईन आवंटन हेतु श्री संदीप अग्रवाल, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

D:Arun_Vinay-Establishment_ Off Salary_2018-19_12